दिनांक 21.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 31/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा पुलिस माडर्न स्कूल को उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाने हेतु की गयी बैठक

श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० की अध्यक्षता में आज दिनांक 21.11.2024 को पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ में केन्द्रीय निदेशक मण्डल, उ०प्र० पुलिस शिक्षा समिति की बैठक में पुलिस माडर्न स्कूलों से प्राप्त अवसंरचनात्मक एवं प्रशासनिक विकास के प्रस्तावों पर चर्चा की गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बैठक के दौरान विद्यालय भवन की मरम्मत एवं अवसंरचनात्मक विकास के निमित्त प्राप्त सभी प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गयी तथा एस०डी०आर०एफ० एवं 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी में पुलिस माडर्न स्कूल स्थापित करने सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव पर विस्तृत मंथन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।

पुलिस माडर्न स्कूलों को कहा गया कि पुलिस माडर्न स्कूलों में अच्छे फर्नीचर, स्मार्ट क्लासरूम एवं उच्च स्तरीय शिक्षकों की व्यवस्था की जाये। विद्यालयों की रोजमर्रा की आवश्यकताओं के त्वरित समाधान हेतु स्थानीय प्रबन्ध समिति के वित्तीय अधिकारों में बढ़ोत्तरी की गयी।

बैठक के दौरान सचिव, उ०प्र०पुलिस शिक्षा समिति एवं पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी द्वारा विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर तथ्यगत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारोपरान्त समिति द्वारा 39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर, 20वीं पीएसी आजमगढ़, छठी वाहिनी पीएसी मेरठ, 35वीं पीएसी लखनऊ, 15वीं पीएसी आगरा, 38वीं पीएसी अलीगढ़ में संचालित पुलिस माडर्न स्कूलों एवं जनपद मथुरा, इटावा, झाँसी एवं जनपद मुजफ्फरनगर एवं कमिश्नरेट, लखनऊ में संचालित पुलिस माडर्न स्कूलों से प्राप्त प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

बैठक के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि सभी प्रस्तावों का स्थानीय स्तर पर विधिवत परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण कराया जा चुका है तथा विद्यालय प्रबन्धकों से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रस्ताव के औचित्यपर विचार–विमर्श करने के उपरान्त ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विदित हो कि उ०प्र०पुलिस के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षा शुल्क पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1994 से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उ०प्र०पुलिस शिक्षा समिति गठित कर अपने कर्मचारियों के स्वैच्छिक अंशदान से पुलिस माडर्न स्कूल संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 19 विद्यालय विभिन्न पीएसी वाहिनियों में, 11 विद्यालय विभिन्न जनपदों में तथा 01 विद्यालय पुलिस अकादमी मुरादाबाद में संचालित है।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, उपाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक पीएसी, सचिव एवं सदस्य के तौर पर अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ० के साथ–साथ पुलिस महानिरीक्षक स्थापना सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

दिनांक 21.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 32/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना रूरा

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 हजार 800 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 20.11.2024 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रसूलाबाद–रूरा बार्डर के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त ललिया घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के 03 हजार 800 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना रूरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रूरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ललिया निवासी ग्राम पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1—लूट के 03 हजार 800 रूपये नगद।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद सम्भल/थाना बहजोई

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.11.2024 को थाना बहजोई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विलाल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल के उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नखासा जनपद सम्भल में पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहजोई पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विलाल निवासी ग्राम मन्नीखेड़ा थाना नखासा जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20.11.2024 को थाना रायपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल उर्फ झगडू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रायपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रायपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल उर्फ झगडू निवासी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 21.11.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिल उर्फ मो0अनश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना नवाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिल उर्फ मो0अनश निवासी ग्राम पुरैनी थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 20 लाख रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन(बिना नम्बर की)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20.11.2024 को थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मदनपुर गेट पर चेकिंग के दौरान बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शिवकुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 20 लाख रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन(बिना नम्बर की), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवकुमार निवासी ग्राम छायसा जनपद फरीदाबाद, हरियाणा।

बरामदगी

1–चोरी के 20 लाख रूपये नगद।

2–01 दो पहिया वाहन(बिना नम्बर की)।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद भदोही/थाना सुरियावां

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 32 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनॉकः 20/21.11.2024 की रात्रि थाना सुरियावां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान ग्राम गुवाली नहर पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों 1–सूरज 2–नितेश उर्फ मोमू 3–रोहित उर्फ पटवारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 32 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट) बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि थाना सुरियावां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सुरियावां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध मे थाना सुरियावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सूरज निवासी किचकिला थाना हण्डिया, प्रयागराज।

2–नितेश उर्फ मोमू निवासी रिखीपुर थाना हण्डिया, प्रयागराज।

3–रोहित उर्फ पटवारी निवासी लालापुर अर्जुनपट्टी थाना हण्डिया, प्रयागराज।

बरामदगी

1–लूट के 32 हजार रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल (फर्जी नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना इन्दिरानगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 30 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 21.11.2024 को थाना इन्दिरानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिकनिक स्पाट के पास गुडम्बा जाने वाले रोड से 04 अभियुक्तों 1–जमाल उर्फ जमाली 2–मो0फूलचाँद अली 3–रफीकुल 4–मुफीस को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 30 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.11.2024 को थाना इन्दिरानगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त जमाल उर्फ जमाली के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जमाल उर्फ जमाली निवासी ग्राम एक नं0 नासुनगुरी थाना मानिकपुर जनपद न्यू मुंगाई असम हालपता वीवीगंज थाना सआदतगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2–मो0फूलचाँद अली निवासी ग्राम छोटा पारा जनपद बरपेटा असम, हालपता गऊघाट थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

3–रफीकुल निवासी ग्राम उभयपुरी जनपद न्यू बोगोईगांव असम, हालपता चोरघाटी बालागंज थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

4–मुफीस निवासी बोनतीपुर गांव नित्यानन्द बाजार जनपद बरपेटा असम, हालपता जन्जीरी ब्लाक थाना कोतवाली जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 30 हजार रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन आदि।

ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 115 किलो 995 ग्राम अवैध गांजा**
- **1900/–रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **स्विफ्ट कार**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 20.11.2024 की रात्रि ए0एन0टी0एफ0 थाना बाराबंकी टीम द्वारा सूचना के आधार पर औड़िहार रेलवे स्टेशन के बाहर, मोटर साइकिल स्टैण्ड थाना सैदपुर

जनपद गाजीपुर से 04 अभियुक्तों 1–रामकुॅवर 2–अजय 3–सुरेन्द्र 4–रोशन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 115 किलो 995 ग्राम अवैध गांजा, 1900/–रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामकुॅवर निवासी ग्राम गहनी फौलादपुर थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर।

2–अजय निवासी ग्राम तियरा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

3–सुरेन्द्र निवासी ग्राम तियरा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

4–रोशन निवासी ग्राम सिहुका अबीरपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 58 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 115 किलो 995 ग्राम अवैध गांजा।

2–1900/–रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–01 स्विफ्ट कार।

- **जनपद बाराबंकी/थाना रामसनेहीघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना रामसनेहीघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी/452/324 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जमीले उर्फ जमील को आजीवन कारावास व 01 लाख 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद फतेहपुर/थाना औंग (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना औंग पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त वंशीलाल उर्फ फौजी उर्फ ताऊ उर्फ इंजीनियर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना चितबड़ागाँव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना चितबड़ागाँव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/324/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।